



राज्यपाल सचिवालय, बिहार
(जन-सम्पर्क शाखा)
राजभवन, पटना—800022

ई—मेल—pr.rajbhavan@gmail.com
prrajbhavanbihar@gmail.com
मोबाइल—9431283596

प्रेस—विज्ञप्ति

**परीक्षा—कैलेण्डर एवं एकेडमिक कैलेण्डर का शत प्रतिशत अनुपालन करते हुए
विश्वविद्यालय समय पर परीक्षाफल प्रकाशित करें—राज्यपाल**

पटना, 23 मार्च 2019

महामहिम राज्यपाल श्री लाल जी टंडन ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को परीक्षा एवं एकेडमिक कैलेण्डरों का शत—प्रतिशत अनुपालन करते हुए समय पर परीक्षाफल प्रकाशित करने का निदेश दिया है। राज्यपाल ने परीक्षाफल प्रकाशित होने के बाद अविलम्ब 'दीक्षान्त समारोह' आयोजित करते हुए डिग्री—वितरण का भी आदेश सभी कुलपतियों को दिया है। राज्यपाल ने कहा है कि पूर्व लंबित परीक्षाओं को इस वर्ष का शिक्षण—सत्र प्रारंभ हाने के पूर्व हर हालत में आयोजित कर लिया जाना चाहिए।

ज्ञातव्य है कि विगत 14 मार्च, 2019 को राजभवन में आयोजित 'कुलपतियों की बैठक' में समीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि 'अन्तर स्नातक स्तर' की 2 परीक्षाएँ मगध विश्वविद्यालय बोधगया में, 3 परीक्षाएँ वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में, 5 परीक्षाएँ जय प्रकाश विश्वविद्यालय छपरा में, 3 परीक्षाएँ बी.एन.मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में एवं 3 परीक्षाएँ बाबासाहेब भीमराव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में आयोजित नहीं हो पायी हैं। इसी तरह 'स्नातकोत्तर स्तर' की 4 परीक्षाएँ मगध विश्वविद्यालय बोधगया में, 2 परीक्षाएँ वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में, 4 परीक्षाएँ जय प्रकाश विश्वविद्यालय छपरा में, 03 परीक्षाएँ बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में, 02 परीक्षाएँ तिलकामाँझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर में एवं 03 परीक्षाएँ बाबासाहेब भीमराव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में अभी आयोजित होनी बाकी हैं।

कुलाधिपति ने इन सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को कहा है कि यथाशीघ्र इन पूर्व लंबित परीक्षाओं का आयोजन करते हुए परीक्षाफल प्रकाशित कर दिये जायें।

राज्यपाल ने कहा है कि इस वर्ष अभी तक 'दीक्षान्त समारोह' का आयोजन नहीं कर पाये तीन विश्वविद्यालय —वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा एवं मगध विश्वविद्यालय, बोधगया भी यथाशीघ्र 'दीक्षान्त समारोहों' के लिए तिथियाँ प्रस्तावित करते हुए राज्यपाल सचिवालय का अनुमोदन प्राप्त कर लें।

राज्यपाल ने अभी तक 'गेस्ट फेकेल्टी' के रूप में शिक्षकों की नियुक्तियाँ नहीं कर पानेवाले 5 विश्वविद्यालयों —मगध विश्वविद्यालय बोधगया, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, बाबासाहेब भीमराव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना तथा मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर के कुलपतियों को आवश्यकतानुसार गेस्ट फेकेल्टी के रूप में निर्धारित प्रक्रिया के तहत शिक्षकों की नियुक्तियाँ करने का आदेश दिया है, ताकि राज्य में शिक्षकों की कमी के कारण शिक्षण—व्यवस्था कुप्रभावित न हो।

राज्यपाल श्री टंडन ने विश्वविद्यालयीय विभागों एवं महाविद्यालयों में संस्थापित बायोमैट्रिक उपकरणों को सिर्फ शोभा के उपकरण नहीं बनाने की हिदायत देते हुए कहा है कि इनसे प्राप्त प्रतिवेदनों का सविस्तार सूक्ष्मतापूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए। राज्यपाल ने निदेशित किया है कि बायोमैट्रिक उपकरणों के जरिये शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों की हाजिरी की सतत् समीक्षा होनी चाहिए। राज्यपाल ने सभी कुलपतियों को निदेशित किया है कि वे शीघ्र वैसे तीन—तीन शिक्षकों एवं कर्मियों की सूची राजभवन को उपलब्ध करायें, जिन्होंने विगत माह कॉलेजों या अपने विभागों में कार्य—दिवस के दौरान अधिकतम एवं न्यूनतम दिन एवं घंटे व्यतीत किए हैं।